

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय  
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग,  
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र  
Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of Regional Controller of Mines  
Karmayogi Bhavan, 4<sup>th</sup> Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A  
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: गुज/कच्छ/बॉक्सा- 08 Mine code 07GUJ10008 ID दिनांक:

सेवा में : Gujarat Mineral Development Corporation Ltd.  
Calcined Bauxite Project,  
Gadhsisa, Taluka- Mandvi- 370 445  
Kachchh (GUJ)  
e mail – ratadiya-nagrecha@gmdcltd.com

विषय: गुजरात राज्य के जिले- कच्छ की तालुका- मांडवी में स्थित आपकी रातड़िया-नागरेचा बॉक्साइट खान, क्षेत्रफल- 204.07 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का स्टार रेटिंग निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10.12.2024 को श्री डी.वी.पटेल, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत विवरण
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-380(114)/2021-22MDRD(N)GNR दिनांक 23.02.2022 के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- (१) अनुमोदित खनन योजना के बिन्दु 6.2.3.2 के अनुसार वर्ष 2023-24 में खान के पर्यावरण सुधार हेतु किए गए वृक्षारोपण की Survival rate 75% रखना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय Survival rate 60% ही पायी गयी।

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
०३. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं

स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।

०४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय

Signed by Manish Gupta

Date: 29-01-2025 14:58:37

(मनीष गुप्ता)

सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नहीं) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, खण्ड- १, सप्तम तल, उद्योग भवन, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
३. रक्षित पत्रावली।

सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो